परिशिष्ट IV

प्ररूप संख्या 1

[नियम 11पङ (1) को देखें]

<u>आयकर नियम, 1962 के नियम 11पङ के खंड (क) के अधीन वचनबंध</u>

प्रति,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त ....

महोदय/महोदया,

मैं ....(बड़े अक्षरों में नाम) पुत्र/पुत्री............................. पदनाम .... का.....और राष्ट्रीयता ....और संबंधित पासपोर्ट संख्या ....। (इसके पश्चात् "हस्ताक्षरकर्ता" के रूप में विनिर्दिष्ट) स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या .... (टिप्पणी 1 देखें) .... (घोषणाकर्ता का नाम) की ओर से स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या / कर कटौती खाता संख्या (टिप्पणी 2 देखें) .... और बोर्ड के संकल्प और विधिक प्राधिकरण जैसा भी मामला हो के अनुसार इस संबंध में घोषणाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए समयक रूप से प्राधिकृत और सक्षम हो (टिप्पणी 3 देखें), निम्नानुसार घोषणा करता है:

(क) 28 मई, 2012 से पहले भारत के बाहर पंजीकृत या निगमित किसी कंपनी या इकाई में शेयर या ब्याज के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप भारत में स्थित किसी संपत्ति या पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से या उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में विविनिर्दिष्ट आदेश पारित हुआ है या पारित किया गया है और ऐसे विनिर्दिष्ट आदेशों के ब्यौरे उपाबंध के भाग क में दिया गया है।

(ख) हितबद्ध पक्षकार ने (उन विकल्पों को काट दें जो लागू नहीं हैं)

(i). अधिनियम की धारा 245-ण के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-णख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245कक के अधीन

गठित अंतरिम समझौता बोर्ड या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कोई अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही फाइल नहीं की है और यह वचन देता है कि वह सुसंगत आदेशों के विरुद्ध भविष्य में कोई अपील, आवेदन, याचिका फाइल नहीं करेगा या कार्यवाही करेगा। ऐसे सुसंगत आदेश या आदेशों के विवरण उपाबंध के भाग एमबी में उपबंध किए गए हैं ;

(ii). अधिनियम की धारा 245-ण के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-णख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245कक के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष के समक्ष एक या अधिक अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों को फाइल किया गया और ऐसी सभी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस लिया गया है या ऐसा प्ररूप 1 में फाइल करने की तारीख से पहले किसी भी समय अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों का निपटारा किया गया है और यह वचन देता है कि वह सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध भविष्य में कोई अपील,आवेदन,याचिका या कार्यवाही फाइल नहीं करेगा । ऐसी फाइल की गई अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों के विवरण और हितबद्ध पक्षकार द्वारा पूर्वाग्रह के साथ अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस ले लिया गया है, उपाबंध के भाग एमसी में उपबंध किए गए हैं;

(iii). अधिनियम की धारा 245-ण के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-णख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245कक के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष एक या अधिक अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों को फाइल किया गया और हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल सभी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही का निपटारा कर दिया गया है और आगे कोई अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं की गई है और इसके साक्ष्य इसके साथ प्रस्तुत किए गए हैं और यह वचन देते हैं कि सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध भविष्य में कोई अपील, आवेदन, याचिका या कार्यवाही फाइल नहीं करेगा । ऐसी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों और उसके निपटान के विवरण उपाबंध के भाग एमसी में उपबंध उपबंध किए गए हैं;

(iv). अधिनियम की धारा 245-ण के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-णख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245कक के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों को फाइल की और एक या अधिक अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों इस वचनबंध की तारीख के अनुसार लंबित हैं और ऐसी किसी भी और सभी अपीलों को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस लेने, समाप्त करने और बंद करने का वचन देता है या पूर्वाग्रह के आधार पर ऐसे अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों जो नीचे दिए गए खंड (ङ) के अनुसार इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक लंबित हैं। हितबद्ध पक्षकार आगे वचन देता है कि सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध भविष्य में वह ऐसी कोई अपील, आवेदन या याचिका कार्यवाही फाइल नहीं करेगा । हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल की गई ऐसी लंबित अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों का विवरण और उनकी प्रास्थिति, वचनबंध की तारीख पर, उपाबंध के भाग डी में उपबंध किया गया है । इस खंड (ख) में वर्णित किसी भी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों के विवरण जो उप-खंड (i) और (ii) द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, भी उपाबंध के भाग एमडी में उपबंध उपबंध किए गए हैं;

(ग) हितबद्ध पक्षकार ने (उन विकल्पों को काट दें जो लागू नहीं हैं)

(i) . तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी करार के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की है, और उसकी कोई नोटिस नहीं दी गई है,और वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी कोई मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता आरंभ नहीं करेगा। ऐसे सुसंगत आदेश या आदेशों के विवरण उपाबंध के भाग एमबी में उपबंध उपबंध किए गए हैं;

(ii). तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी करार के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी मध्यस्थता, सुलह या

मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की है या उसकी कोई नोटिस दी गई है,और किसी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता और उसके दिए गए नोटिसों के लिए पूर्वाग्रह के आधार पर ऐसी किसी भी कार्यवाहियों को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस ले लिया है। हितबद्ध पक्षकार वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से आरंभ नहीं करेगा या सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में या उसके संबंध में भविष्य में ऐसी कोई मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता आरंभ नहीं करेगा या फाइल नहीं करेगा। मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए ऐसी कार्यवाहियों और उसके दिए गए नोटिसों के विवरण को आरंभ करेगा और हितबद्ध पक्षकार द्वारा पूर्वाग्रह के आधार पर अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस ले लिए गए विवरण को उपाबंध के भाग एमई में उपबंध उपबंध किए गए हैं;

(iii). तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी करार के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की गई है या कोई नोटिस दी गई है और हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल सभी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता का निपटारा कर दिया गया है और हितबद्ध पक्षकार द्वारा आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और इसके साक्ष्य यहां प्रस्तुत किए गए हैं। हितबद्ध पक्षकार वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से नहीं शुरू करेगा या सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में या उसके संबंध में भविष्य में ऐसी कोई मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता आरंभ नहीं करेगा या फाइल नहीं करेगा। मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए ऐसी कार्यवाहियों और उसके दिए गए नोटिसों के विवरण को आरंभ करेगा । मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए ऐसी कार्यवाही के विवरण और उसके दिए गए नोटिस, आरंभ किए गए और उसके निपटाए उपाबंध के भाग एमई में उपबंध किए गए हैं ।

(iv). तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी करार के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की गई है या उसकी नोटिस दी गई है और ऐसी एक या अधिक कार्यवाही या नोटिस वचनपत्र की तारीख पर लंबित हैं और मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए किसी और ऐसी सभी कार्यवाहियों या नोटिसों को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस लेने, समाप्त करने और बंद करने का वचन देता है जो नीचे दिए गए खंड (ङ) के अनुसार इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पूर्वाग्रह के आधार पर लंबित है । हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल की गई लंबित ऐसी कार्यवाहियों या नोटिसों के विवरण उपाबंध के भाग एफ में दिए गए हैं। हितबद्ध पक्षकार आगे वचन देता है कि वह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में या उसके संबंध में ऐसी कोई मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता आरंभ नहीं करेगा। मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए किसी भी कार्यवाही का विवरण, या उसके नोटिस, जो उप-खंड (i) और (ii) द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, भी उपाबंध के भाग एमएफ में उपबंधित किए गए हैं;

(v) . भारत द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ किए गए किसी भी करार के अधीन सुसंगत आदेशों के आधार पर, अधिरोपित कर, ब्याज और जुर्माना लगाने से संबंधित या किसी अन्य माध्यम से हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में जारी किए गए किसी भी पंचाटों, आदेशों, निर्णयों या किसी भी अन्य राहतों को प्राप्त किया या पाया गया,चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा और ऐसे पंचाट,आदेशों या निर्णयों या किसी अन्य राहत के संबंध में या उससे उत्पन्न होने के संबंध में, जो भारत और किसी भारतीय संबद्धता के विरुद्ध आदेशित, जारी या पारित किया जा सकता है, चाहे वह कार्यवाही शुरू की गई हो हितबद्ध पक्षकार या भारत और किसी भारतीय संबद्धता द्वारा किसी भी दावे या लागत या घोषणात्मक राहत की मांग या दबाव डालने के किसी भी अधिकार को छोड़ने का वचन देता है । हितबद्ध पक्षकार भी हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में जारी किए गए ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय को एक पक्षीय करने के लिए गणराज्य द्वारा आरंभ की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में लागत के लिए किसी भी दावे की मांग करने या दबाव डालने के किसी भी अधिकार को अप्रतिसंहरणीय रूप से समाप्त करने का वचन देती है। हितबद्ध पक्षकार वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी कोई भी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता आरंभ या फाइल नहीं करेगा। ऐसे अधिनिर्णयों, आदेशों, निर्णयों या किसी अन्य राहत के विवरण उपाबंध के भाग एमजी में उपबंधित किए गए हैं;

(घ) हितबद्ध पक्षकार ने (उन विकल्पों को काट दें जो लागू नहीं है/हैं)

(i) . किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, किसी भी अन्य राहत के संबंध में संलग्नक को प्रवृत्त करने या आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की है, जो हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में उक्त मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता कार्यवाही के संबंध में किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेश,जारी या पारित किया गया हो सकता है जैसा कि इस वचनबंध के खंड (ग) में निर्दिष्ट है, गणतंत्र और किसी भारत गणराज्य के विरुद्ध है, और यह वचन

देता है कि वह भविष्य में ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। ऐसे पंचाट,आदेश या निर्णय के विवरण उपाबंध के भाग एमबी में उपबंधित किए गए हैं;

(ii) . किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, किसी भी अन्य राहत के संबंध में संलग्नक को प्रवृत्त करने या आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की है, जो हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में उक्त मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता कार्यवाही के संबंध में किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेश,जारी या पारित किया गया हो सकता है जैसा कि इस वचनबंध के खंड (ग) में निर्दिष्ट है, गणतंत्र और किसी भारत गणराज्य के विरुद्ध है। हितबद्ध पक्षकार ने पूर्वाग्रह के साथ ऐसी किसी भी कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस ले लिया है या बंद कर दिया है और यह वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से नहीं शुरू करेगा या संलग्नक को प्रवृत्त करने या आगे बढ़ाने के लिए नई कार्यवाही फाइल नहीं करेगा। हितबद्ध पक्षकार द्वारा आरंभ की गई और वापस ली गई या बंद की गई ऐसी कार्यवाहियों के विवरण उपाबंध के भाग एमएच में उपबंधित किए गए हैं;

(iii) किसी भारत गणराज्य और गणतंत्र के विरुद्ध इस वचनबंध के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में उक्त माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के संबंध में किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक अथवा प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किए गए किसी पंचाटों, आदेशों, निर्णयों के संबंध में कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने के लिए कार्यवाहियां आरम्भ कर दी हैं। हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल की गई सभी कार्यवाहियों का निपटान कर दिया गया है और हितबद्ध पक्षकार द्वारा और कोई कार्यवाही फाइल नही की गई है और साक्ष्य दिया जाता है तथा वचनबंध किया जाता है कि कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने के लिए वह ऐसी किसी कार्यवाही को भविष्य में पुन: नहीं खोलेगा या फाइल नही करेगा या नई कार्यवाहियों को आरम्भ नहीं करेगा। ऐसी कार्यवाहियां, जो आरम्भ कर दी गई हैं या निपटान कर दी गई हैं, का विवरण उपाबद्ध के भाग डज पर दिया गया है ।

(iv) किसी भारत गणराज्य और गणतंत्र के विरुद्ध इस वचनबंध के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में उक्त माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के संबंध में किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक अथवा प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किए गए किसी पंचाटों, आदेशों, निर्णयों के संबंध में कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने के लिए कार्यवाहियां आरम्भ कर दी हैं तथा ऐसी एक या अधिक कार्यवाहियां वचनबंध की तारीख को लम्बित हैं या हितबद्ध पक्षकार ने किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी से एक या अधिक आदेश प्राप्त कर लिए हैं जो भारत और किसी भारत गणराज्य के विरुद्ध बकाया रहते हैं । हितबद्ध पक्षकार वचनबंध करता है कि वह किन्हीं पंचाटों, आदेशों, निर्णयों के संबंध में कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने के लिए ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को अथवा या कोई अन्य अनुतोष जो इस वचनबंध के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में उक्त माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता कार्यवाहियों के संबंध में किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा आदेशित, जारी या पारित किया गया हो या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी से आदेशों के प्रवर्तन हेतु जो भारत और/या किसी अन्य भारत गणराज्य के विरुद्ध बकाया रहता है, भविष्य में फाइल नहीं करेगा । इस वचनबंध के अन्तर्गत आने वाली ऐसी कार्यवाहियों की विशिष्टियां उपाबंध के भाग डझ में उपबंधित हैं । किन्हीं पंचाटों, आदेशों, निर्णयों या किसी अन्य अनुतोष से संबंधित कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने हेतु ऐसी किसी कार्यवाही की विशिष्टियां, जो उपखंड (i) या (ii) के अन्तर्गत नहीं आते, भी उपाबंध के भाग डझ में उपबंधित हैं । हितबद्ध पक्षकार, नीचे खंड (ङ) के अनुसार, कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने की किन्हीं या सभी कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस लेने, बर्खास्त करने और समाप्त करने का भी वचनबंध करता है;

(ड.) हितबद्ध पक्षकार निम्नानुसार वचनबंध करता है -

(i) इस वचनबंध के खंड (ख) के उपखंड (iv), खंड (ग) के उपखंड (iv), खंड (ग) के उपखंड (iv), खंड (ग) के उपखंड (v) और खंड (घ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट लम्बित कार्यवाहियों के साथ-साथ ऊपर पैरा (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट नहीं किए गए सुसंगत आदेशों से संबंधित भारत या भारतीय सहबद्धों के विरुद्ध किन्हीं अन्य लम्बित कार्यवाहियों को अप्रतिसंहरणीय रूप से और प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए बन्द करने हेतु अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस लेना, समाप्त करना, बर्खास्त करना और/या सभी आवश्यक कदम उठाना, और किसी भी प्रकार तथा भविष्य में किन्हीं माध्यमों से ऊपर पैरा (ख), (ग) और (घ) में यथानिर्दिष्ट निलम्बित कार्यवाहियों तथा सुसंगत आदेशों से संबंधित किन्हीं अन्य नई कार्यवाहियों और ऊपर खंडों में निर्दिष्ट नहीं किए गए सुसंगत आदेशों से संबंधित किन्हीं अन्य लम्बित कार्यवाहियों को न करना । इस प्रकार कार्य करते हुए, हितबद्ध पक्षकार इस वचनबंध के अनुसार तथा भारत सरकार को पूर्ण सहयोग करते हुए कार्य करेगा ;

(ii) किसी अधिकार, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष और किन्हीं दावों, मांगों, धारणाधिकारों, कार्रवाइयों, वादों, वाद-हेतुकों, बाध्यताओं, विवादों, ऋणों, लागतों, अटॉर्नी फीस, न्यायालय फीस, व्ययों, क्षतियों, निर्णयों, आदेशों और साम्या या अन्यथा में विधि के किसी भी प्रकार या प्रकृति के दायित्वों, चाहे पूर्व में (या भविष्य में खोजे गए) ज्ञात या अज्ञात हों और चाहे गुप्त या छिपे हुए ना हों, को अप्रतिसंहरणीय रूप से बर्खास्त, निर्मुक्त, निर्वहन और सदैव तथा अप्रतिसंहरणीय रूप से त्यजन करना, जो विद्यमान हों या विद्यमान रहे हों अथवा अवश्य विद्यमान हों या जो किसी पंचाट, आदेश, निर्णय या इस वचनबंध के खंड (ख), (ग) और (घ) में यथानिर्दिष्ट किसी अन्य अनुतोष के संबंध में विद्यमान रह सकते हों या रहेंगे या विद्यमान रह सकेंगे, गणतंत्र या किसी भारत गणराज्य के विरुद्ध सुसंगत आदेशों के संबंध में आदेशित, जारी या पारित किए गए हों, चाहे वह हितबद्ध पक्षकार या भारत या किसी भारत गणराज्य द्वारा आरम्भ की गई कार्यवाहियों में हों । संदेह से बचने के लिए, हितबद्ध पक्षकार के अप्रतिसंहरणीय त्यजन के अन्तर्गत ऊपर खंड (ख), (ग) और (घ) में यथानिर्दिष्ट किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आदेशित या जारी या पारित किए गए किसी पंचाट, आदेश, निर्णय या किसी अन्य अनुतोष के अग्रसरण में गणतंत्र या किसी भारत गणराज्य के विरुद्ध प्रवर्तन या कुर्की अनुज्ञात करने वाले किसी विद्यमान एकपक्षीय, अनंतिम या अन्य प्रकार के न्यायालय आदेश द्वारा उपबंधित किसी अधिकार का अप्रतिसंहरणीय त्यजन भी है । संदेह से और बचने के लिए हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में आदेशित, जारी किए गए या पारित किए गए ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय को अपास्त करने के लिए भारत और किसी भारत गणराज्य द्वारा प्रारम्भ की गई किसी कार्यवाही के संबंध में लागतों के लिए हितबद्ध पक्षकार किसी दावे की ईप्सा करने या उसे प्राप्त करने के किसी अधिकार के त्यजन का भी वचनबंध करता है । ऐसे अप्रतिसंहरणीय त्यजन के अन्तर्गत, किन्तु उस तक सीमित नहीं, किसी सुसंगत एकपक्षीय आदेश के अधीन कोई अधिकार भी है ;

(iii) हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में जारी किए गए ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या अन्य किसी अनुतोष को अपास्त करने के लिए गणतंत्र द्वारा प्रारम्भ की गई किसी कार्यवाही के संबंध में लागतों के लिए किसी दावे की ईप्सा करने या उसे प्राप्त करने के किसी अधिकार का त्यजन करना ।

(च) हितबद्ध पक्षकार विनिर्दिष्ट रूप से प्रस्तुत करता है कि इस वचनबंध में यथावर्णित उपाबंध के सभी भाग उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार परिपूर्ण और सम्पूर्ण हैं ।

(छ) हितबद्ध पक्षकार किसी अधिकार को, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, सदैव के लिए और अप्रतिसंहरणीय रूप से बर्खास्त, निर्मुक्त, निर्वहन करने का वचनबंध करता है और किन्हीं उपचारों, दावों, मांगों, धारणाधिकारों, कार्रवाइयों, वादों, वाद-हेतुकों, बाध्यताओं, विवादों, ऋणों, लागतों, अटॉर्नी फीस, न्यायालय फीस, व्ययों, क्षतियों, निर्णयों, आदेशों, प्रतिकर और साम्या या अन्यथा में विधि के किसी भी प्रकार या प्रकृति के दायित्वों, चाहे पूर्व में (या भविष्य में खोजे गए) ज्ञात या अज्ञात हों और चाहे गुप्त या छिपे हुए ना हों, को अप्रतिसंहरणीय रूप से बर्खास्त, निर्मुक्त, निर्वहन और सदैव तथा अप्रतिसंहरणीय रूप से त्यजन करना, जो विद्यमान हों या विद्यमान रहे हों अथवा अवश्य विद्यमान हों या जो तत्पश्चात् समय के आरम्भ से इस वचनबंध की तारीख तक होने वाले किन्हीं तथ्यों, घटनाओं या लोपों के संबंध में (चाहे प्राख्यान हों या अप्राख्यान) किसी भी प्रकार के उपचार या किन्हीं और सभी दावों, मांगों, क्षतियों, निर्णयों, पंचाटों, लागतों, व्ययों, क्षतिपूर्तियों या दायित्वों की ईप्सा या उन्हें प्राप्त करने के आधार पर विद्यमान रह सकते हैं, रहेंगे या रह सकेंगे या तत्पश्चात् उक्त आय के संबंध में भविष्य में या किसी संबंधित पंचाट, निर्णय या न्यायालय आदेश, जो साम्या में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, किसी संविधि के अधीन या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत से बाहर के राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार के अधीन हितबद्ध पक्षकार को अन्यथा उपलब्ध हो सकेगा, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए या अन्यथा हो, चाहे यह हितबद्ध पक्षकार द्वारा अथवा भारत या किसी भारत गणराज्य द्वारा आरम्भ की गई कार्यवाहियों में हो । संदेह से बचने के लिए, हितबद्ध पक्षकार के उपरोक्त त्यजन के अन्तर्गत सुसंगत आदेशों के संबंध में या किसी संबंधित चल रहे या पूर्ण हो चुके मुकदमें, माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के संबंध में उपगत लागतों या उद्भूत ब्याज हेतु भारत और/या भारत गणराज्य के विरुद्ध किसी दावे का अप्रतिसंहरणीय त्यजन भी है । इसके अतिरिक्त, किसी शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार यह वचनबंध करता है कि सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन या सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित किसी पंचाट, निर्णय या न्यायालय आदेश के अधीन किसी अधिकार के त्यजन का भी वचनबंध देता है ।

(ज) घोषणाकर्ता यह व्यक्त करेगा कि इस वचनबंध की तारीख को उसने सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित या सुसंगत आदेशों के अधीन किसी पंचाट, निर्णय या न्यायालय आदेश के अधीन तीसरे पक्षकार को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया है या उसके दावे का कोई अंतरण नहीं किया है । और इस वचनबंध को करने के पश्चात् उसके दावे को तीसरे पक्षकार को

अंतरित नहीं करने का वचनबंध करेगा । जहां ऐसा कोई दावा या अधिकार अंतरित किया जाता है, घोषणाकर्ता पुष्टि करता है कि उसने भाग ठ में सभी हितबद्ध पक्षकारों की विशिष्टियों प्रदान की हैं और इस वचनबंध से संलग्न ऐसे हितबद्ध प्रत्येक तीसरे पक्षकार का वचनबंध, उपाबंध के भाग (ड) के अनुसार होगा ।

(झ) उस दशा में कि पूर्वगामी किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति इस वचनबंध किए जाने की तारीख को किसी भी समय या उसके पश्चात् गणराज्य या भारत गणराज्य (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् एकत्रित रूप से "र्निमोक्ति" कहा गया है) के विरुद्ध कोई दावा कर सकेगा, ला सकेगा, दाखिल कर सकेगा या अनुरक्षित कर सकेगा, घोषणाकर्ता ऐसा दावा करने या लाने, फाइल करने या अनुरक्षित करने के संबंध में या उद्भूत सभी खर्चों, व्ययों (जिसके अंतर्गत अटर्नी की फीस और न्यायालय फीस भी है), ब्याज, नुकसानी और किसी प्रकार के अन्य दायित्व से और उसके विरुद्ध ऐसी निर्मुक्ति की क्षतिपूर्ति, प्रतिरक्षा और हानिरहित धारण करेगा । घोषणाकर्ता विशेष रूप से व्यक्त करेगा कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान से,

(i) इस वचनबंध के निष्पादन;

(ii) सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में किसी अन्य पक्षकार द्वारा किसी पृथक संबंधित वचनबंध का निष्पादन; और

(iii) इस वचनबंध की रूपरेखा के रूप में सभी लंबित कार्यवाहियों का अप्रतिसंहरणीय प्रत्याहरण,

के पश्चात् उपरोक्त संदर्भित सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में कोई अन्य दावा या संबंधित पंचाट, निर्णय या न्यायालय आदेश गणराज्य या भारत गणराज्य के विरुद्ध अधिशेष नहीं है । शंका को दूर करने के लिए घोषणाकर्ता की इस खंड के अधीन निर्मुक्ति क्षतिपूर्ति में किसी ऐसे तृतीय पक्षकार द्वारा लाया गया दावा जिसमें अधिकथित है कि उसने घोषणाकर्ता का दावा किसी पंचाट, निर्णय या न्यायालयों के आदेश अथवा सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन प्राप्त किया है, सम्मिलित होगा । इस प्रभाव का क्षतिपूर्ति बंधपत्र वचनबद्ध के भाग ढ से संलग्न है।

(ञ) शंका को दूर करने के लिए, घोषणाकर्ता पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी संबंधित दावे के विरुद्ध र्निमुक्ति सुनिश्चित करने के संबंध में किसी भी लोप या गलती की खंड (झ) में क्षतिपूर्ति के माध्यम से जोखिम लेता है। यदि घोषणाकर्ता ऐसे व्यक्ति से कोई र्निमुक्ति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो घोषणाकर्ता वारंटी देता है कि वह भारत गणराज्य या किसी भी भारत गणराज्य की किसी प्रतिरक्षा व्यय, न्यायालय व्यय और नुकसानी से क्षतिपूर्ति करेगा। खंड (झ) और (ञ) के प्रभावी होने के लिए एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र इस वचनबद्ध के साथ संलग्न है।

(ट) घोषणाकर्ता इसके अतिरिक्त उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट किसी प्रकार की कार्यवाहियां या दावे अथवा उपरोक्त निर्दिष्ट किन्हीं सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाहियों या दावे (चाहे कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में हो) लाने से किसी पक्षकार (जिसके अंतर्गत कोई संबंधित पक्षकार या हितबद्ध पक्षकार सम्मिलित है, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, भी है) सुकर बनाने, प्राप्त करने, बढ़ावा देने या अन्यथा सहायता करने से प्रविरत रहने का वचनबंध करेगा । घोषणाकर्ता प्ररूप 3 में सूचना प्रस्तुत करने से पहले किसी भी समय जहां नियम 11पच के अधीन प्ररूप 3 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और अन्य मामालों में इस वचनबंद्ध के प्रस्तुत किए जाने से पहले, एक लोक सूचना या प्रेस रिलीज द्वारा अधिसूचित करेगा कि इस वचनबंध पर हस्ताक्षर द्वारा सुसंगत आदेश या आदेशों या किसी संबद्ध पंचाट, निर्णय, न्यायालय आदेश से उद्भूत या संबंधित कोई दावा अस्तित्व में नहीं रहेगा । इस तरह की लोक सूचना या प्रेस रिलीज में अन्य बातों के अतिरिक्त, इस बात की पुष्टि शामिल होगी कि,

(i) घोषणाकर्ता (और उसके संबंधित पक्षकार) सदा के लिए अपरिसंहरणीय रूप से सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित या सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन, किसी पंचाट, निर्णय, या न्यायालय आदेश के अधीन किसी अधिकार और उपबंधों पर किसी निर्भरता को त्याग देते हैं;

(ii) घोषणाकर्ता ने यह वचनबद्ध प्रदान किया है, जिसमें सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित या सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन, किसी पंचाट, निर्णय, या न्यायालय आदेश के संबंध में या सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित किसी भी दावे के संबंध में गणतंत्र तथा किसी भारत गणराज्य की पूर्ण र्निमुक्ति सम्मिलित है।;

(iii) इस वचनबद्ध में र्निमुक्ति के विपरीत संबंद्ध पक्षकारों या हितबद्ध पक्षकारों सहित गणतंत्र या किसी भी भारत सहबद्ध के विरूद्ध लाए गए किसी भी दावे के लिए क्षतिपूर्ति भी सम्मिलित है; और

(iv) घोषणाकर्ता पुष्टि करता है कि वह इस तरह के किसी पंचाट, निर्णय, या न्यायालय आदेश को अकृत और शून्य और बिना विधिक प्रभाव के उसी विस्तार तक मानता है जैसे कि इसे सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था और उस आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या कार्यवाही अथवा दावा पेश नहीं करेगा।

(ठ) घोषणाकर्ता यह पुष्ट करेगा कि यहां दिए गए वचनबंध भारत सरकार द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिए आशयित है जिसके अंतर्गत इस वचनबंध के किन्हीं खंडों में निर्दिष्ट सभी कार्यवाहियों और दावों का अप्रतिसंहरणीय अभित्यजन, प्रत्याहरण या रोकना (जो समुचित हो) सुनिश्चित करना भी है।

(ड) घोषणाकर्ता व्यक्त करेगा और गारंटी देगा कि:-

(i) उसे लागू विधियों के अधीन इस वचनबंध का निष्पादन और परिदान करने की पूर्ण विधिक शक्ति और प्राधिकार है (इसमें लागू विधि के अधीन खंड (झ) व (ञ) में वर्णित क्षतिपूर्ति जारी करना सम्मिलित है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है) ;

(ii) इस वचनबंध (इसमें लागू विधि के अधीन खंड (झ) व (ञ) में वर्णित क्षतिपूर्ति जारी करना सम्मिलित है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है) का निष्पादन, परिदान और पालन सभी आवश्यक निगमित कार्यवाहियों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है इसमें लागू विधि के अधीन कोई बोर्ड संकल्प या समान प्रधिकार सम्मिलित है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है (टिप्पण 3 देखे);

(iii) यह वचनबंध उसकी निबंधनों के अनुसार घोषणाकर्ता के विरुद्ध प्रवर्तनीय, विधिक, विधिमान्य और घोषणाकर्ता पर बाध्यकारी बाध्यता का गठन करता है ;

(iv) उपरोक्त उप-खंडों (i) व (ii) तथा (iii) में वर्णित ऐसे प्राधिकार लागू विधियों के अधीन प्रभावी हैं, और इसके लिए, सुसंगत अधिकारिता के स्थानीय कौंसिल के पत्र इस वचनबद्ध से संलग्न हैं जो लागू विधियों के अधीन ऐसे प्राधिकरों की विधिमान्यता की पुष्टि करते हैं ; तथा

(ढ) घोषणाकर्ता यह पुष्ट करेगा कि वर्तमान वचनबंध को प्रस्तुत करके, वह धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 के छठे परंतुक के नीचे स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

(ण) उस बैंक खाते जिसमें प्रतिदाय जमा हो सकेगा के ब्यौरे उपाबंध के भाग ञ में दिए गए।

(त) हितबद्ध पक्षकारों के ब्यौरे उपाबंध के भाग ट और भाग ठ में दिए गए हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपाबंध के भाग ड में वचनबंध, इस वचनबंध के साथ संलग्न है। घोषणाकर्ता यह व्यक्त करेगा और वारंटी देगा कि-

(i) उसे लागू विधियों के अधीन इस वचनबंध का निष्पादन और परिदान करने की पूर्ण विधिक शक्ति और प्राधिकार है ;

(ii) इस वचनबंध का निष्पादन, परिदान और पालन सभी आवश्यक निगमित कार्यवाहियों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है ;

(iii) यह वचनबंध उसकी निबंधनों के अनुसार घोषणाकर्ता के विरुद्ध प्रवर्तनीय, विधिक, विधिमान्य और घोषणाकर्ता पर बाध्यकारी बाध्यता का गठन करता है। इस वचनबंध के समान ऐसे पृथक्, संबंधित वचनबंध लिए जा सकते हैं।

(थ) घोषणाकर्ता, नियम 11पच के उपनियम (6) के अधीन समाविष्ट नहीं है या उनको समाविष्ट नहीं किया गया हैं और यदि घोषणाकर्ता उक्त उपनियम के अधीन समाविष्ट नही किया जाता है तो नियम 11पङ के उपनियम (2) के अधीन उपबंधित शर्तों को पूरा किया जाएगा।

(द) यह वचनबंध भारतीय विधि द्वारा शासित है और इस वचनबंध के संबंध में कोई विवाद भारतीय विधियों के अध्यधीन होगा और यथास्थिति भारत में सुसंगत आय-कर प्राधिकारियों, अभिकरणों या न्यायालयों, जो अधिनियम के अधीन विवादों का विनिश्चिय करने के लिए सशक्त है, की अनन्य अधिकारिता के अधीन अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा।

में यह भी पुष्ट करता हूं कि मैं इस वचनबंध के सभी परिणामों और विवक्षाओं से अवगत हूं।

स्थान.............

तारीख...........

हस्ताक्षर

....

संलग्नक

1. यथास्थिति, बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकार, जैसा कि वचनबद्ध के खंड (ड) में निर्दिष्ट है ;

2. वचनबद्ध के भाग ढ से संलग्न, वचनबद्ध के खंड (झ) और (ञ) के प्रभाव का एक क्षतिपूर्ति बद्धपत्र ;

3.वचनबद्ध के खंड (ट) में निर्दिष्ट लोक सूचना की प्रति, जहां नियम 11 पच के उपनियम (6) के अधीन प्ररूप3 प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

4.इस वचनबद्ध के उपाबंध के विभिन्न भागों के आवश्यकता अनुसार संलग्नक ।

टिप्पण

1. यह सूचना प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जहां हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या उपलब्ध है।

2. कंपनी पहचान संख्या और करदाता पहचान संख्या प्रदान की जानी चाहिए जहां स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या या घोषणाकर्ता का टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर उपलब्ध नहीं है।

3. बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकार, वचनबद्ध के खंड (ड) में यथा निर्दिष्ट अन्य बातों के अतिरिक्त :

(क) घोषणाकर्ता की ओर से वचनबद्ध देने के लिए हस्ताक्षरकर्ता शक्ति और प्राधिकार को अभिलिखित करें; और

(ख) वचनबद्ध के खंड (झ) के अनुसार भारत गणराज्य और भारतीय सहबद्धों की प्रतिरक्षा करने और उन्हें हानिरहित रखने के लिए घोषणाकर्ता की शक्ति और अधिकार को अभिलिखित करें।

सत्यापन

यह सत्यापन किया जाता है कि इस वचनबंध की विषयवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है । इस वचनबंध का कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें कुछ छिपाया या मिथ्या कथन नहीं किया गया है ।

स्थान..................पर तारीख ....दिन...........मास.........वर्ष को सत्यापित ।

स्थान.............

तारीख...........

हस्ताक्षर

....

उपाबंध

भाग क – सुसंगत आदेशों की विशिष्टियां :

क्र.स.	निर्धारण वर्ष/ वित्तीय वर्ष	आदेश पारित करने वाले आय-कर प्राधिकारी	विचार करने योग्य आदेश का विवरण		निर्धारित कर/शास्ति	ब्याज	कुल मांग	किसी अपील कार्यवाही में उपबंधित अनुतोष, यदि कोई हों	घोषणाकर्ता से वसूली की मांग	आज की तारीख पर लंबित मांग/देय प्रतिदाय	किसी आय-कर अधिकारी द्वारा की गई कुर्की का विवरण
			आय-कर अधिनियम, 1961की धारा और उपधारा	आदेश की तारीख							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

भाग ख –वचनबंध के खंड (ख) के उपखंड (i), खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा आच्छादित सुसंगत आदेश या आदेशों का विवरण :

क्रम सं.	भाग क में क्र.सं., जहां सुसंगत आदेश वर्णित हैं	किसी आय-कर प्राधिकारी या किसी अपीलीय अधिकरण या अधिनियम की धारा 245 ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकारी या धारा 245 णख के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड या धारा 245 ख के अधीन गठित आयकर बंदोबस्त आयोग या धारा 245 कक के अधीन गठित बंदोबस्त के लिए अंतरिम बोर्ड या किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कोई अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही में फाइल नहीं की गई है (वचनबंध के खंड (ख)(i) में निर्दिष्ट करें) ।	माध्यस्थम् या सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और किसी भी विधि के अधीन, जो उस समय प्रवृत्त है या भारत के साथ कोई अन्य देश या भारत के बाहर के राज्यक्षेत्र के द्वारा किए गए किसी समझौते के अधीन उसको कोई सूचना नहीं दी गई है या तो निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा (वचनबंध के खंड (ग)(i) में निर्दिष्ट करें) ।	किसी पंचाट, आदेश या निर्णय के संबंध में संलग्नक को प्रवर्तित करने या आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है, कोई अन्य अनुतोष, जो किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा गणराज्य और भारतीय सहबद्धियों के विरुद्ध घोषणाकर्ता के पक्ष में उक्त मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता की कार्यवाही के संबंध में आदेशित किया गया या जारी किया गया या पारित किया गया हो (वचनबंध के खंड (घ)(i) में निर्दिष्ट करें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		लागू होता है/लागू नहीं होता है	लागू होता है/लागू नहीं होता है	लागू होता है/लागू नहीं होता है

भाग ग :वचनबंध के खंड (ख) के उपखंड (ii) और (iii) के अधीन अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही की विशिष्टियां:

क्रम सं.	भाग क में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित है	अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही की प्रकृति	आयकर प्राधिकारी या अधिनियम की धारा 245 ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकारी या धारा 245 णख के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड या धारा 245 ख के अधीन गठित आयकर बंदोबस्त आयोग या धारा	अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही को फाइल करने की तारीख	ऐसी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों के प्रत्याहरण के निपटान की तारीख (कृपया आयकर प्राधिकारी या अधिनियम की धारा 245 ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकारी या धारा 245 णख के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड या धारा 245 ख के अधीन गठित आयकर बंदोबस्त आयोग या धारा 245 कक के अधीन गठित बंदोबस्त के लिए अंतरिम बोर्ड या

			245 कक के अधीन गठित बंदोबस्त के लिए अंतरिम बोर्ड या किसी अधिकरण या न्यायालय जिसके समक्ष ऐसी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियां फाइल की गई है।		किसी अधिकरण या न्यायालय जो प्रत्याहरण/ निपटान को स्वीकार करते हैं, के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग घ – वचनबंध के खंड (ख) के उपखंड (iv) के अधीन किसी अपीलों या आवेदनों या याचिकायों या कार्यवाही के विवरण :

क्र.सं.	भाग क में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित है	अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों कार्यवाही की प्रकृति	आयकर प्राधिकारी या अधिनियम की धारा 245 ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकारी या धारा 245 णख के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड या धारा 245 ख के अधीन गठित आयकर बंदोबस्त आयोग या धारा 245 कक के अधीन गठित बंदोबस्त के लिए अंतरिम बोर्ड या किसी अधिकरण या न्यायालय जिसके समक्ष ऐसी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही फाइल की गई है।	अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही को फाइल करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भाग ङ – वचनबंध के खंड (ग) के उपखंड (ii) और (iii) के अधीन माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता या सूचनाओं का विवरण:

क्र.सं.	भाग क में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित है	वाद संख्या/दी गई सूचना के साथ माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता या सूचनाओं की प्रकृति	जहां माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता लंबित है या उसकी सूचनाएं जारी की गई हैं, ऐसी कार्यवाही के विवरण (जिसके अंतर्गत देश का नाम भी होगा)	माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता/जारी सूचना के लिए कार्यवाही को शुरू करने की तारीख	भारत द्वारा किए गए करार का नाम, जिसके अंतर्गत माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता की कार्यवाहियां लंबित हैं	माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के लिए कार्यवाही की स्थिति	माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता या सूचनाओं के लिए ऐसी कार्यवाही के निपटान प्रत्याहरण की तारीख (कृपया साक्ष्य सहित, अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक या अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी के आदेश के ऐसे निपटान प्रत्याहरण को संलग्न करें ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

भाग च – वचनबंध के खंड (ग)के उपखंड (iv) के अधीन माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता या सूचनाओं का विवरण:

क्र.सं.	भाग क में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित हैं	वाद संख्या/दी गई सूचना के साथ माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता की कार्यवाही की प्रकृति की सूचना	जहां माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता लंबित है या उसकी सूचनाएं जारी की गई हैं, ऐसी कार्यवाही के विवरण (जिसके अंतर्गत देश- का नाम भी होगा)	माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता/जारी सूचना के लिए कार्यवाही को शुरू करने की तारीख	भारत द्वारा किए गए करार का नाम, जिसके अंतर्गत माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता की कार्यवाही लंबित हैं	माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के लिए कार्यवाही की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भाग छ – वचनबंध के खंड ग के उपखंड (v) के अधीन पंचाट, आदेश या निर्णय या कोई अन्य अनुतोष की विशिष्टियां :

क्र.सं.	भाग क में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित हैं	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की प्रकृति	विशिष्टियां (जिसके अंतर्गत देश का नाम भी होगा), जहां कार्यवाही ऐसे पंचाट, आदेश, निर्णय या कोई अन्य अनुतोष अभिनिर्धारित किया गया था, से संबंधित हैं।	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या कोई अन्य संदर्भ संख्या के साथ अनुतोष की तारीख	पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग ज – वचनबंध के खंड (घ) के उपखंड (ii) और (iii) के अधीन किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या कोई अन्य अनुतोष को प्रवर्तित कराने के लिए कार्यवाही की विशिष्टियां:

क्र.सं.	भाग क में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित हैं	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की प्रकृति	विशिष्टियां (जिसके अंतर्गत देश का नाम भी होगा), जहां ऐसे किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की कार्यवाही लागू होती हैं	किसी पंचाट, आदेश या किसी अन्य अनुतोष को लागू कराने के लिए, कार्यवाही को फाइल करने की तारीख	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की प्रकृति	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को लागू कराने के लिए कार्यवाही (हियों) की स्थिति (उसकी प्रतिलिपि संलग्न करें)	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को लागू कराने के लिए कार्यवाही के निपटान प्रत्याहरण की तारीख (कृपया न्यायालय या अन्य न्यायिक प्राधिकारी के आदेश सहित ऐसे निपटान/ प्रत्याहरण के साक्ष्य की प्रतिलिपि संलग्न करें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

भाग झ – वचनबंध के खंड (घ) के उपखंड (iv) के अधीन किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या कोई अन्य अनुतोष को प्रवर्तित कराने के लिए कार्यवाही की विशिष्टियां :

क्र.सं.	भाग क में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित हैं	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या कोई अन्य अनुतोष को लागू कराने की कार्यवाही (हियों) की प्रकृति	विशिष्टियां (जिसके अंतर्गत देश का नाम भी होगा), जहां ऐसे किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की	किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को लागू कराने के लिए, कार्यवाही (हियों) को फाइल करने की तारीख	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की प्रकृति	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या कोई अन्य अनुतोष को लागू कराने की कार्यवाही (हियों) की स्थिति

			कार्यवाही (हियां) लागू होती हैं			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भाग ञ – भारत में बैंक खाता का विवरण, जिसमें प्रतिदाय प्रेषित किया जाना है :

क्रम. सं.	बैंक का नाम और पता	खाता संख्या और प्रेषण के लिए अन्य आवश्यक विवरण
(1)	(2)	(3)

भाग ट –सभी कंपनियां या अंतिम नियंत्री कंपनी तक घोषणाकर्ता के संपूर्ण श्रृंखला धृति में इकाइयां या घोषणाकर्ता की इकाई का ब्यौरा :

क्रम सं.	नियंत्री कंपनी का नाम	वचनबंध की तारीख के अनुसार घोषणाकर्ता में ऐसी नियंत्री कंपनी के स्वामित्व का प्रतिशत	यदि घोषणाकर्ता में स्वामित्व सीधे ऐसी नियंत्री कंपनी के पास नहीं है, तो स्वामित्व की श्रृंखला में सभी कंपनियों के नाम के साथ स्वामित्व की श्रृंखला
(1)	(2)	(3)	(4)

भाग ठ –भाग ट के अधीन आने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अन्यथा सभी हितबद्ध पक्षकारों के ब्योरे:

क्रम सं.	इस वचनबंध द्वारा, जिनका हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है, ऐसे सभी व्यक्तियों का नाम	ऐसे व्यक्ति के हित की प्रकृति	ऐसे व्यक्ति के व्याज की रकम (सं.), यदि उपलब्ध हो
(1)	(2)	(3)	(4)

भाग ड

<u>वचनबंध के भाग ट और भाग ठ में घोषित व्यक्तियों द्वारा वचनबंध</u>

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

....

महोदय/महोदया,

मैं...(बड़े अक्षरों में नाम) पुत्र/पुत्री........................ ....पदनाम .... और राष्ट्रीयता ....और संबंधित पासपोर्ट संख्या ....(जिसे इसमें इसके पश्चात् "हस्ताक्षरी" कहा गया है) का स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या .... (टिप्पण 1 देखें) की ओर से ....(हितबद्ध पक्षकार का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या /आधार संख्या / कर कटौती खाता संख्या (टिप्पण 2 देखें) ....और यथास्थिति संकल्प बोर्ड और विधिक प्राधिकार (टिप्पण 3 देखें) के अनुसरण में इस संबंध में हितबद्ध पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक् रुप से प्राधिकृत और सक्षम होते हुए, निम्नलिखित घोषणा करता है:

(क) घोषणाकर्ता के मामले में 28 मई, 2012 से पूर्व भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व किसी शेयर या हित के अंतरण के परिणाम स्वरुप भारत में स्थित किसी अस्तित्व या पूंजी आस्ति के अंतरण से प्रोद्भूत होने वाली या उसके माध्यम से या उससे उद्भूत होने वाली अन्य की बाबत पारित किए गये या किए गए हैं, के विनिर्दिष्ट आदेशों की विशिष्टियां -

(ख) हितबद्ध पक्षकार के पास (लागू न होने वाले विकल्पों को काट दें),

*(i) अधिनियम की धारा 245-त के अधीन गठित किसी भी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम निर्णयों के लिए प्राधिकरण या धारा 245-तख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग के समक्ष कोई अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही नहीं की है। 245ख या धारा 245कक के अधीन गठित अंतरिम बोर्ड या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध कोई **अधिकरण या न्यायालय**, और वचन देता हूं कि वह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध कोई अपील, आवेदन, याचिका या कार्यवाही नहीं करेगा।. ऐसे सुसंगत आदेश या आदेशों का ब्यौरे उपाबंध के भाग डख में दिया गया है;*

*(ii) अधिनियम की धारा 245-त के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-तख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग के समक्ष एक या अधिक अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही की या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध धारा 245कक या किसी **अधिकरण या न्यायालय** के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड और ऐसी सभी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस ले लिया है या ऐसा **प्ररूप 1 करने की तारीख से पहले किसी भी समय अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही का निपटान किया गया है**, और वचन देता हूं कि वह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध कोई अपील, आवेदन, याचिका या कार्यवाही नहीं करेगा।. ऐसी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या हितबद्ध पक्षकार द्वारा और अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस ली गई कार्यवाही का ब्यौरे उपाबंध के भाग डग में दिया गया है;*

*(iii) अधिनियम की धारा 245-त के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-तख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग के समक्ष एक या अधिक अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही की या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध धारा 245कक या किसी **अधिकरण या न्यायालय** के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड और हितबद्ध पक्षकार द्वारा सभी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही का **निपटान** कर दिया गया है और आगे कोई अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही नहीं की गई है। हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया है और इसके साक्ष्य इसके साथ प्रस्तुत किए गए हैं और वचन देते हैं कि यह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध कोई अपील, आवेदन, याचिका या कार्यवाही नहीं करेगा।ऐसी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं का ब्यौरे उपाबंध के भाग ग में दिया गया है;*

*(iv) अधिनियम की धारा 245-त के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-तख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग के समक्ष अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही की या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध धारा 245कक या किसी **अधिकरण या न्यायालय** के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड और इस तरह की एक या अधिक अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही इस वचनबंध की तारीख को लंबित हैं और अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस लेने, समाप्त करने का वचन देता है*

और ऐसी किसी भी और सभी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही को बंद कर दें जो नीचे दिए गए खंड (ङ) के अनुसार इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक लंबित हैं। हितबद्ध पक्षकार आगे वचन देता है कि वह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध ऐसी कोई अपील, आवेदन, याचिका या कार्यवाही नहीं करेगा. ऐसी लंबित अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई कार्यवाही और इस वचनबंध की तारीख के अनुसार उनकी स्थिति का ब्यौरे उपाबंध के भाग घ में दिया गया है। का ब्यौरेइस खंड (ख) में वर्णित किसी भी अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही जो उप-खंड (i) और (ii) द्वारा शामिल नहीं की जाती हैं, उपाबंध के भाग ङघ में भी प्रदान की जाती हैं;

(ग़) हितबद्ध पक्षकार के पास (लागू न होने वाले विकल्पों को काट दें),

(i) मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है, और किसी भी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी समझौते के अधीन कोई नोटिस नहीं दिया गया है, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध, और वचन देता है कि वह ऐसी कोई पहल नहीं करेगा मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता भविष्य में. ऐसे सुसंगत आदेश या आदेशों का ब्यौरे उपाबंध के भाग ङख में दिया गया है;

(ii) मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए शुरू की गई कार्यवाही, या नोटिस, किसी भी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी भी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी समझौते के अधीन, निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा के विरूद्ध दिया गया है सुसंगत आदेश या आदेश और मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए ऐसी किसी भी कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस ले लिया है, और इसके नोटिस दिया गया है। हितबद्ध पक्षकार वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से शुरू नहीं करेगा या ऐसी कोई कार्यवाही शुरू या नहीं करेगा ***मध्यक्ता****, सुलह या भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में उत्पन्न होने वाली* ***मध्यक्ता****। मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए ऐसी कार्यवाही का ब्यौरे और उसके दिए गए नोटिस, जो हितबद्ध पक्षकार द्वारा शुरू किए गए और अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस लिए गए हैं, उपाबंध के भाग ङङ में दिया गया है;*

(iii) मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए शुरू की गई कार्यवाही, या नोटिस, किसी भी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी भी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी समझौते के अधीन, निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा के विरूद्ध दिया गया है सुसंगत आदेश या आदेश और हितबद्ध पक्षकार द्वारा सभी मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता का ***निपटान*** *कर दिया गया है और हितबद्ध पक्षकार द्वारा आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और इसके साक्ष्य यहां प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसी कार्यवाही का ब्यौरे उपाबंध के भाग ङङ. में दिया गया है।,*

(iv) मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है, या नोटिस दिया गया है, किसी भी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी समझौते के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध और इस तरह की एक या अधिक कार्यवाही या नोटिस वचनबंध की तारीख को लंबित हैं और मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए लंबित किसी भी और ऐसी सभी कार्यवाही या नोटिस को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस लेने, समाप्त करने और बंद करने का वचन देता है। नीचे दिए गए खंड (ङ) के अनुसार इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख पूर्वाग्रह के आधार पर ऐसी लंबित कार्यवाही का ब्यौरे और हितबद्ध पक्षकार द्वारा नोटिस, उपाबंध के भाग एफ में प्रदान किए गए हैं। हितबद्ध

पक्षकार आगे वचन देता है कि वह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में या उसके संबंध में ऐसी कोई मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता शुरू नहीं करेगा। मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए किसी भी कार्यवाही का ब्यौरे, या उसके नोटिस, जो उप-खंड (i) और (ii) द्वारा शामिल नहीं किए जाते हैं, उपाबंध के भाग ङच में भी प्रदान किए जाते हैं;

(v) हितबद्ध पक्षकार हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में जारी किए गए इस तरह के पंचाट, आदेश या निर्णय को रद्द करने के लिए गणराज्य द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में खर्च के लिए किसी भी दावे की मांग करने या उसका पीछा करने के किसी भी अधिकार को अप्रतिसंहरणीय रूप से समाप्त करने का वचन देती है। हितबद्ध पक्षकार वचन देती है कि वह ऐसी कोई ***मध्यक्ता*** *शुरू या नहीं करेगी, भविष्य में सुलह या* ***मध्यक्ता***। *ऐसे पुरस्कारों, आदेशों, निर्णयों या किसी अन्य* ***अनुतोष*** *का ब्यौरे उपाबंध के भाग ङछ में दिया गया है;*

(घ) हितबद्ध पक्षकार के पास (लागू न होने वाले विकल्पों को काट दें),

(i) किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय या किसी भी अन्य ***अनुतोष*** *के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है, जो किसी भी* ***अधिकरण या न्यायालय*** *या अन्य न्यायिक, न्यायिककल्प या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किया जा सकता है। इस वचनबंध के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट के रूप में हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता कार्यवाही या तो गणराज्य और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध, और इसके द्वारा यह वचन देता है कि यह भविष्य में ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। ऐसे अधिनिर्णय, आदेश या निर्णय का ब्यौरे उपाबंध के भाग ङख में दिया गया है;*

(ii) उक्त ***मध्यक्ता*** *के संबंध में किसी भी* ***अधिकरण या न्यायालय*** *या अन्य न्यायिक, न्यायिककल्प या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किए गए किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय या किसी अन्य* ***अनुतोष*** *के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू की। , गणराज्य और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध इस वचनबंध के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में सुलह या* ***मध्यक्ता*** *की कार्यवाही। हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी किसी भी कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस ले लिया है या बंद कर दिया है और इसके द्वारा यह वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से नहीं खोलेगा या संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए नई कार्यवाही दर्ज नहीं करेगा। हितबद्ध पक्षकार द्वारा शुरू की गई और वापस ली गई या बंद की गई ऐसी कार्यवाही का ब्यौरे उपाबंध के भाग ङज में दिया गया है;*

(iii) उक्त ***मध्यक्ता*** *के संबंध में किसी भी* ***अधिकरण या न्यायालय*** *या अन्य न्यायिक, न्यायिककल्प या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किए गए किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय या किसी अन्य* ***अनुतोष*** *के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू की। , गणराज्य और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध इस वचनबंध के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में सुलह या* ***मध्यक्ता*** *की कार्यवाही। हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई ऐसी सभी कार्यवाही का* ***निपटान*** *कर दिया गया है और हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई आगे की कार्यवाही नहीं की गई है और इसके साथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से नहीं खोलेगा या लागू करने के लिए या नई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा या अनुलग्नकों की कार्यवाही का ब्यौरे,*

(iv) उक्त के संबंध में किसी भी ***अधिकरण या न्यायालय*** *या अन्य न्यायिक, न्यायिककल्प या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किए गए किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य* ***अनुतोष*** *के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए*

कार्यवाही शुरू की। इस वचनबंध के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता कार्यवाही, या तो गणराज्य और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध और ऐसी एक या अधिक कार्यवाही वचनबंध की तारीख पर लंबित हैं और, हितबद्ध पक्षकार ने किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण से एक या अधिक आदेश प्राप्त किए हैं जो भारत और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध शेष हैं। हितबद्ध पक्षकार वचन देती है कि वह भविष्य में किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य ***अनुतोष*** *के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगी जो किसी* ***अधिकरण या न्यायालय*** *या अन्य न्यायिक द्वारा आदेशित, जारी या पारित की गई हो। , इस वचनबंध के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में उक्त मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता कार्यवाही के संबंध में न्यायिककल्प या प्रशासनिक प्राधिकरण या किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण से आदेशों को लागू करने के लिए जो भारत के विरूद्ध शेष हैं और कोई भी भारत गणराज्य हितबद्ध पक्षकार आगे गणतंत्र और/या किसी भी भारत गणराज्य के साथ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए चलाती है जो इस तरह के शेष आदेश के अंतर्गत है, ताकि ऐसे किसी भी उत्कृष्ट आदेश को अलग या अन्यथा निष्प्रभावी किया जा सके, और अटल और पूर्वाग्रह के साथ ऐसे शेष आदेश से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार या उपचार को माफ कर दिया गया है । ऐसी कार्यवाही का ब्यौरे उपाबंध के भाग डझ में दिया गया है। किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य* ***अनुतोष*** *के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए ऐसी किसी भी कार्यवाही का ब्यौरे, जो उपखंड (i) और (ii) में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी उपाबंध के भाग डझ में दिया गया है। हितबद्ध पक्षकार किसी भी और ऐसी सभी कार्यवाही अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर नीचे दिए गए खंड (ड.) के अनुसार संलग्न हैं;*

(ड) हितबद्ध पक्षकार निम्नानुसार वचन देता है।

(i) *खंड (ख) के उप-खंड (iv), खंड (ग), उप-खंड (iv) के उप-खंड (iv) में विनिर्दिष्ट लंबित कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार वापस लेने, बंद करने, समाप्त करने और सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए। इस वचनबंध के खंड (ग) और उप-खंड (iv) के खंड (घ) के साथ-साथ सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित भारत या भारतीय सहयोगियों के विरूद्ध कोई अन्य लंबित कार्यवाही और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं है, (ग) और (घ) ऊपर, और भविष्य में किसी भी तरह से और किसी भी तरह से लंबित कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, जैसा कि उपरोक्त खंड (ख), (ग), और (घ) में विनिर्दिष्ट है, और किसी भी अन्य लंबित कार्यवाही से संबंधित है सुसंगत आदेश या आदेश जो उपरोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं और सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित कोई अन्य नई कार्यवाही। इतने अभिनय में,*

(ii) *चाहे वह हितबद्ध पक्षकार द्वारा या भारत और किसी भारत गणराज्य द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में हो। शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार की अप्रतिसंहरणीय छूट में पूर्वाग्रह के आधार किसी भी मौजूदा पूर्व-पक्षीय, अनंतिम, या अन्य प्रकार के अदालती आदेश द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार की अप्रतिसंहरणीय छूट शामिल है, जो किसी भी पंचाट को आगे बढ़ाने में गणतंत्र और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध प्रवर्तन या कुर्की की अनुमति देता है। , आदेश निर्णय, या कोई अन्य* ***अनुतोष*** *जो उपरोक्त खंड (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट किसी भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित या जारी या पारित की गई हो सकती है। हितबद्ध पक्षकार आगे गणतंत्र और/या किसी भी भारत गणराज्य के साथ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए चलाती है जो खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी भी उत्कृष्ट आदेश के अंतर्गत है, ताकि ऐसे किसी भी उत्कृष्ट आदेश को अलग या अन्यथा निष्प्रभावी किया जा सके, और आगे शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार भारत और किसी भी भारत गणराज्य द्वारा इस तरह के पंचाट, आदेश या निर्णय को रद्द करने के लिए शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में खर्च के लिए किसी भी दावे को मांगने या आगे बढ़ाने के किसी भी अधिकार को छोड़ने का वचन देती है। हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में।*

*(iii) इस तरह के पंचाट, आदेश या निर्णय, या हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में जारी किसी भी अन्य **अनुतोष** को रद्द करने के लिए गणराज्य द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में खर्च के लिए किसी भी दावे को मांगने या आगे बढ़ाने के किसी भी अधिकार को अप्रतिसंहरणीय रूप से छोड़ने के लिए।*

(च) हितबद्ध पक्षकार विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करता है कि इस वचनबंध में वर्णित उपाबंध के सभी भाग उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण एवं सही हैं।

(छ) या समय की शुरुआत से इस वचनबंध की तारीख तक और उसके पश्चात् भविष्य में उक्त आय या सुसंगत आदेश या आदेश, या किसी भी संबंधित पंचाट, निर्णय या न्यायालय के आदेश के कराधान के संबंध में होने वाली लोप, जो अन्यथा इच्छुक के लिए उपलब्ध हो सकती है किसी भी विधि के अधीन पक्षकार, इक्विटी में, किसी भी क़ानून के अधीन या भारत के बाहर किसी भी देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी भी समझौते के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा, चाहे वह इच्छुक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में हो पक्षकार या भारत और किसी भी भारत गणराज्य द्वारा। शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार की उपरोक्त छूट में सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में किए गए खर्च या अर्जित ब्याज के लिए भारत और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध किसी भी दावे की अप्रतिसंहरणीय छूट शामिल है, या कोई संबंधित चल रही या पूरी की गई मुकदमेबाजी, मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता। इसके अतिरिक्त, किसी भी शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार सुसंगत आदेश या आदेशों या सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन किसी भी पंचाट, निर्णय, या अदालती आदेश के अधीन किसी भी अधिकार पर निर्भरता को त्यागने का वचन देती है।

(ज) हितबद्ध पक्षकार आगे यह और अभ्यावेदन करता है कि इस वचनबंध की तारीख तक इसने अपने किसी भी दावे को किसी भी पंचाट, निर्णय, या न्यायालय के आदेश सुसंगत आदेश या आदेशों या सुसंगत आदेश से संबंधित या आदेशों के अधीन तीसरे पक्षकार को स्थानांतरित नहीं किया है, या कोई अधिकार प्रदान नहीं किया है और आगे इस वचनबंध के किए जाने के पश्चात् अपने किसी भी दावे को तीसरे पक्षकार को अंतरित नहीं करने का वचन देता है।

(झ) इस दशा में, पूर्वगामी के होते हुए भी , कोई भी व्यक्ति इस वचनबंध को प्रस्तुत करने की तारीख को या उसके पश्चात् किसी भी समय गणतंत्र या भारतीय सहयोगियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से "निर्गम" कहा गया है) के विरूद्ध कोई दावा करता है, लाता है, करता है या चलाता है, हितबद्ध पक्षकार किसी भी और सभी लागतों, खर्चों (न्यायवादी फीस और न्यायालय फीस सहित), ब्याज, नुकसान, और किसी भी प्रकृति की देनदारियों जो ऐसे दावे करने या लाने फाइल करने या चलाने के कारण या उससे संबंधित किसी भी रूप में उत्पन्न होते हैं से और उनके प्रति क्षतिपूर्ति, प्रतिरक्षा करेगा और हानिरहित रखेगा। , ऐसे दावे को लाना या बनाए रखना। हितबद्ध पक्षकार विविनिर्दिष्ट रूप से यह अभ्यावदेन करता है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार,

(i) इस वचनबंध के निष्पादन;

(ii) सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में किसी अन्य पक्षकार द्वारा किसी अलग संबंधित वचनबंध का निष्पादन; और

(iii) इस वचनबंध में यथा उल्लिखित सभी लंबित कार्यवाही के अप्रति संवरहणीय प्रत्याहरण के पश्चात् ,

उक्त सुसंगत आदेश या ऊपर विनिर्दिष्ट आदेश, या किसी भी संबंधित पंचाट, निर्णय, या न्यायालय के आदेश के संबंध में कोई अन्य दावा, गणतंत्र या किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध अशोधित नहीं रहेगा। किसी भी शंका को दूर करने के लिए, निर्गमों की हितबद्ध पक्षकार की क्षतिपूर्ति में किसी तीसरे पक्षकार द्वारा लाए गए किसी भी दावे को यह अभिवादन करते हुए शामिल किया जाएगा कि उसने एक पंचाट, निर्णय या न्यायालय के आदेश या सुसंगत आदेश या आदेश के अधीन हितबद्ध पक्षकार के दावों को प्राप्त कर लिया है। वचनबंध के भाग ढ से इस प्रभाव का क्षतिपूर्ति बंधपत्र संलग्न है।

(ञ)किसी भी शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी संबंधित दावे के विरूद्ध निर्मम सुनिश्चित करने के संबंध में किसी भी लोप या गलती की इस क्षतिपूर्ति के

माध्यम से खंड (i) में जोखिम लेती है। यदि हितबद्ध पक्षकार ऐसे व्यक्ति से कोई निर्गम प्राप्त करने में विफल रहता है, तो हितबद्ध पक्षकार वारंट करती है कि वह भारत गणराज्य या किसी भी भारत गणराज्य को किसी भी रक्षा खर्च, अदालती खर्च और नुकसान से क्षतिपूर्ति करेगी। खंड (i) और (j) के प्रभाव के लिए एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र वचनबंध के साथ संलग्न है।

(ट) हितबद्ध पक्षकार आगे किसी भी पक्षकार (जिसके अंतर्गत कोई संबंधित पक्षकार भी है लेकिन यह उस तक सीमित नहीं है) को किसी भी कार्यवाही या उपरोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार के दावों, या किसी भी कार्यवाही या दावे को लाने में सहायता करने, खरीदने, प्रोत्साहित करने या अन्यथा सहायता करने से विरत रहने करने का वचन देती है। उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी भी सुसंगत आदेश या आदेश से संबंधित कोई भी प्रकार को (चाहे कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में)। हितबद्ध पक्षकार एक सार्वजनिक नोटिस या प्रेस निर्गम द्वारा सूचित करेगी कि इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने से संबंधित आदेश या आदेश या किसी संबंधित पंचाट, निर्णय या न्यायालय के आदेश से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित कोई भी दावा अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस तरह के सार्वजनिक नोटिस में अन्य बातों के अतिरिक्त, इस बात की पुष्टि शामिल होगी कि,

(i) हितबद्ध पक्षकार सदैव तथा अप्रतिसंहरणीय रूप से सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित या सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन किसी भी पंचाट, निर्णय, या अदालती आदेश के अधीन किसी भी अधिकार और प्रावधानों पर निर्भरता को त्याग देता है;

(ii) हितबद्ध पक्षकार ने यह वचनबंध प्रदान किया है, जिसमें सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित गणतंत्र या किसी भी भारत गणराज्य ,किसी भी पंचाट, निर्णय, या न्यायालय के आदेश के संबंध में या सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन, और संबंधित किसी भी दावे के संबंध में है।

(iii) इस वचनबंध में गणतंत्र या किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध निर्गम के किसी भी दावे के विरूद्ध क्षतिपूर्ति भी शामिल है; तथा

(iv) हितबद्ध पक्षकार पुष्टि करता है कि वह ऐसे किसी भी पंचाट, निर्णय, या अदालती आदेश को अकृत और अकृत और बिना विधिक प्रभाव के उसी सीमा तक मानेगा ,मानो कि इसे सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया ।

(ठ)हितबद्ध पक्षकार पुष्टि करती है कि इसमें दिए गए वचनबंधों का आश्य भारत सरकार द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जाता है, जिसमें इस वचनबंध के किसी भी खंड में विनिर्दिष्ट सभी कार्यवाही और दावों की अप्रतिसंहरणीय छूट, वापसी या समाप्ति (जैसा उपयुक्त हो) को सुनिश्चित करना शामिल है।

(ड)हितबद्ध पक्षकार प्रतिनिधित्व करती है और वारंट करती है कि:

(i) इसके पास इस वचनबंध को निष्पादित करने और वितरित करने का पूर्ण विधिक अधिकार और प्राधिकार है (लागू विधि के अधीन खंड (i) में वर्णित क्षतिपूर्ति जारी करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है);

(ii) इस वचनबंध के निष्पादन ,परिदान और निश्पादन(खंड (i) और खंड(अ) में वर्णित क्षतिपूर्ति जारी करने तक सीमित नहीं है) को सभी आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है, जिसमें किसी भी बोर्ड संकल्प या लागू के अधीन समान प्राधिकरण शामिल है किन्तु सीमित नहीं है विधि (टिप्पण 3 देखें);

(iii) यह वचनबंध हितबद्ध पक्षकार के विधिक, वैध और बाध्यकारी दायित्व का गठन करता है, जिसे हितबद्ध पक्षकार के विरूद्ध उसकी शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है;

(iv) उपरोक्त उप-खंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii) में वर्णित ऐसे प्राधिकार लागू विधि के अधीन प्रभावी हैं, और इसके लिए, संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्थानीय परामर्शी के पत्र इस वचनबंध से संलग्न हैं जो लागू विधि के अधीन ऐसे प्राधिकरणों की वैधता की पुष्टि करते हैं ; तथा

(ढ)यह वचनबंध भारतीय विधि द्वारा शासित है और इस वचनबंध के संबंध में कोई भी विवाद भारतीय कानूनों के अधीन होगा और भारत में यथास्थिति सुसंगत आयकर प्राधिकारियों, या अधिकरणों या न्यायालयों के अनन्य अधिकारिता के अधीन अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार विनिश्चय जाएगा। जो अधिनियम के अधीन विवादों को तय करने के लिए सशक्त हैं।

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि मैं इस वचनबंध के सभी परिणामों और प्रभावों से अवगत हूं।

स्थान: ……………..

तारीख: ……………..

हस्ताक्षर

………………………………..

संलग्नक

1. *बोर्ड संकल्प और विधिक प्राधिकरण, जैसा कि भाग ड के खंड (ड) में निर्दिष्ट है।*
2. *,भाग ड के खंड (झ) और (ञ) के आशय के लिए एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र;*
3. *प्ररूप ठ में वचनबंध के भाग ढ़ के भाग (ट) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना की प्रति, जहां नियम 11 पच के उपनियम (6) के अधीन प्ररूप 3 प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।*
4. *इस वचनबंध के खंड (ड) के उपाबंध के विभिन्न भागों के यथाअपेक्षित उपाबंध है ।*

टिप्पणियाँ

1. *यह जानकारी वहां प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जहां हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या उपलब्ध है।*
2. *कंपनी पहचान संख्या और करदाता पहचान संख्या वहां प्रदान की जानी है जहां हितबद्ध पक्षकार का स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या या टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर उपलब्ध नहीं हैं।*
3. *अन्य बातों के साथ बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकरण, जैसा कि वचनबंध के खंड (ड) में निर्दिष्ट है:*

(क) हितबद्ध पक्षकार की ओर से वचन बंध देने के लिए हस्ताक्षरकर्ता की शक्ति और प्राधिकार को अभिलिखित करेगा; और

(ख) वचनबंध के खंड (झ) के अनुसार भारत गणराज्य और भारतीय सहयोगियों की प्रतिरक्षा करने और उन्हें हानिरहित रखने के लिए हितबद्ध पक्षकार की शक्ति और प्राधिकार को अभिलिखित करेगा ।

सत्यापन

यह सत्यापित किया गया है कि इस वचनबंध की अंतर्वस्तु जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। वचनबंध का कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और उसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है या गलत नहीं बताया गया है।

आज_______तारीख__________मास______,_वर्ष___________ को……….. (स्थान) में सत्यापित किया गया ।

स्थान: ……………..

तारीख: ……………..

हस्ताक्षर

………………………………..

उपाबंध

भाग एम ए – सुसंगत आदेश या आदेशों की विशिष्टियां :

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष/ वित्त वर्ष	आयकर प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश	विचाराधीन आदेश के ब्यौरे		हितबद्ध पक्षकार के हित की प्रकृति
			आयकर अधिनियम, 1961 की धारा और उपधारा	आदेश की तारीख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग एम बी-वचनबंध के खंड (ख), खंड (ग)और खंड (घ) के उपखंड (i) द्वारा आच्छादित सुसंगत आदेश या आदेशों की विशिष्टियां:

क्रम सं.	भाग एम ए में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित है	किसी आयकर प्राधिकरण या अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण या धारा 245ण ख के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245कक के अधीन गठित समझौता के लिए अंतरिम बोर्ड या किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कोई अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही फाइल नहीं की गई है (वचनबंध के खंड (i) में निर्दिष्ट करें)।	माध्यस्थम् या सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है और उस समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन या तो निवेश की सुरक्षा या अन्यथा के लिए भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत के बाहर के राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी समझौते के अधीन उसको कोई सूचना नहीं दी गई है (वचनबंध के खंड (ग) (i) में निर्दिष्ट करें)।	किसी पंचाट, आदेश या निर्णय, कोई अन्य अनुतोष जो किसी आधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा उक्त माध्यस्थम , सुलह या मध्यकता की कार्यवाही के संबंध में हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में, गणराज्य और भारतीय सहबद्धियों के विरुद्ध आदेशित या जारी या पारित किया गया हो, के संबंध में कुर्की को प्रवर्तित करने या आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है (वचनबंध के खंड (घ) (i) में निर्दिष्ट करें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		लागू होता/लागू नहीं होता	लागू होता/लागू नहीं होता	लागू होता/लागू नहीं होता

भाग एम सी- वचनबंध के खंड (ख) के उपखंड(ii) के अधीन अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही की विशिष्टियां:

क्रम सं.	भाग एम ए में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित है	अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों की प्रकृति	आयकर प्राधिकरण या किसी आयकर प्राधिकरण या अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण या धारा 245ण ख के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245क क के अधीन गठित समझौता के लिए अंतरिम बोर्ड या किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष जिसको ऐसी अपीलें या आवेदन या याचिकाएं या कार्यवाहियां फाइल की गई हैं।	अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों के फाईल किए जाने की तारीख	ऐसी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही के निपटान/प्रत्याहरण की तारीख (कृपया आयकर प्राधिकरण, या अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण या धारा 245णख के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245क क के अधीन गठित समझौता के लिए अंतरिम बोर्ड या किसी अधिकरण या न्यायालय जहां निपटान/ प्रत्याहरण स्वीकार किया गया है, द्वारा दिए गए आदेश, की प्रति संलग्न करें।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग एम डी- वचनबंध के खंड (ख) के उपखंड(iv) के अधीन अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही की विशिष्टियां :

क्रम सं.	भाग एम ए में क्रम सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित हैं	अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही की प्रकृति	आयकर प्राधिकरण या किसी आयकर प्राधिकरण या अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण या धारा 245णख के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245कक के अधीन गठित समझौता के लिए अंतरिम बोर्ड या किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष जिसको ऐसी अपीलें या आवेदन या याचिकाएं या कार्यवाहियां फाइल की गई हैं।	अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही के फाईल किए जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भाग एम ई- वचनबंध के खंड (ग) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता, या सूचनाओं के लिए कार्यवाही की विशिष्टियां:

क्र. सं.	भाग एम ए में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित है।	दिए गए मामला संख्यांक/सूचना सहित माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के लिए कार्यवाही की प्रकृति	विशिष्टियां (जिसके अन्तर्गत देश का नाम भी है) जहां ऐसी कार्यवाही माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता के लिए लंबित है या उसकी सूचना जारी की गई है।	माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता/सूचना जारी करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने की तारीख	भारत द्वारा किए गए समझौते का नाम जिसके अधीन माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता के लिए कार्यवाही लंबित है।	माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता के लिए कार्यवाही की प्रास्थिति	माध्यस्थम्, सुलह और मध्यकता, या सूचनाओं के लिए ऐसी कार्यवाही के निपटान/प्रत्याहरण की तारीख (कृपया ऐसे निपटान/प्रत्याहरण का साक्ष्य जिसके अंतर्गत, अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक या न्यायिककल्प या प्रशासनिक प्रधिकारी के आदेश भी है, संलग्न करें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

भाग एम एफ- वचनबंध के खंड (ग) के उपखंड (iv) के अधीन माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता, या सूचनाओं के लिए कार्यवाही की विशिष्टियां:

क्र. सं.	भाग एम ए में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित है।	दिए गए मामला संख्यांक/सूचना सहित माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के लिए कार्यवाही की प्रकृति	विशिष्टियां (जिसके अन्तर्गत देश का नाम भी है) जहां ऐसी कार्यवाही माध्यस्थम् सुलह, मध्यकता के लिए लंबित है या उसकी सूचना जारी की गई है।	माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता/सूचना जारी करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने की तारीख	भारत द्वारा किए गए समझौते का नाम जिसके अधीन माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता के लिए कार्यवाही लंबित है।	माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता के लिए कार्यवाही की प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भाग एम जी - वचनबंद्ध के खंड (ग) के उपखंड (iv) के अधीन पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की विशिष्टयाँ :

क्र.सं.	भाग एम ए में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित है।	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की प्रकृति	विशिष्टियां (जिसके अन्तर्गत देश का नाम भी है) जहां ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष से संबंधित कार्यवाही की गई थी।	ऐसे पंचाट, आदेश, निर्णय या किसी अन्य अनुतोष के साथ संदर्भित संख्या की तारीख	पंचाट, आदेश, निर्णय या किसी अन्य अनुतोष प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग एम एचः- वचनबद्ध के खंड (घ) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को प्रवर्तित करने की कार्यवाही की विशिष्टियां –

क्र. सं.	भाग एम ए में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित है।	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को प्रवर्तित करने की कार्यवाही की प्रकृति	विशिष्टियां (जिसके अन्तर्गत देश का नाम भी है) जहां किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को प्रवर्तित करने की ऐसी कार्यवाही हो रही है।	किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को प्रवर्तित करने की कार्यवाही फाईल करने की तारीख	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की प्रकृति (उसकी प्रति संलग्न करें)	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को प्रवर्तित करने की कार्यवाही की प्रास्थिति	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को प्रवर्तित करने की कार्यवाही के निपटान/प्रत्याहरण की तारीख (कृपया ऐसे निपटान/प्रत्याहरण का साक्ष्य जिसके अंतर्गत न्यायालय या अन्य न्यायिक प्राधिकरण का आदेश भी है, की प्रति संलग्न करें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

भाग एम आई:- वचनबद्ध के खंड (घ) के उपखंड (iv) के अधीन कार्यवाही की विशिष्टियां –

क्र. सं.	भाग एम ए में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित है।	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को प्रवर्तित करने की कार्यवाही की प्रकृति	विशिष्टियां (जिसके अन्तर्गत देश का नाम भी है) जहां किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को प्रवर्तित करने की ऐसी कार्यवाही हो रही है ।	किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को प्रवर्तित करने की कार्यवाही के फाईल करने की तारीख	ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की प्रकृति (उसकी प्रति संलग्न करें)	ऐसे किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को प्रवर्तित करने की कार्यवाही की प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भाग ढ

<u>क्षतिपूर्ति बंधपत्र</u>

यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र ("बंधपत्र") _________, 2021 के इस _____ दिन पर बनाया गया है

___________(बड़े अक्षरों में नाम) पुत्र/पुत्री _________ पदनाम और राष्ट्रीयता और संबंधित पासपोर्ट संख्या ____________ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "हस्ताक्षरी" कहा गया है) जिनका स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या / कर कटौती खाता संख्या (टिप्पण 1 देखें) _______________ की ओर से (घोषणाकर्ता और हितबद्ध पक्षकार का नाम, यथास्थिति) जिसका स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या/कर कटौती खाता संख्या _____________ (टिप्पण 2 देखें) और घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत और सक्षम होते हुए, यथास्थिति, इसमें पहले भाग के बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकरण (टिप्पण 3 देखें) के अनुसार संबंधित है ।

<u>और</u>

भारत गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् "गणतंत्र" कहा गया है) और अन्य भाग के किसी भारतीय सहबद्धियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विमोचन" कहा गया है) के रूप में जाना जाता है।

यत:

क. आयकर नियम, 1962 में संशोधित की गई है और आयकर (31 वां संशोधन) नियम, 2021 राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

ख. घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, ने आयकर नियम, 1962 के नियम 11प ड के उपनियम (2) के अधीन एक वचनबंध फाइल किया है, जिसमें यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र उपाबद्ध है। यहां परिभाषित नहीं किए गए किसी भी परिभाषित शब्द का वही अर्थ होगा जो नियम 11प ड और वचनबंध के अधीन दी गई परिभाषाओं के अनुसार होगा।

ग. उपरोक्त के अनुसार, घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, गणतंत्र और भारतीय सहबद्धियों को किसी भी और सभी लागतों, व्ययों (अटर्नी फीस और न्यायालय फीस सहित) से क्षतिपूर्ति, रक्षा और हानिरहित रखने के लिए सहमत हो गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्ररुप 1 में वचनबंध प्रस्तुत करने की तारीख के पश्चात् किसी भी समय किसी भी दावे को लाने, फाइल करने या बनाए रखने से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति की ब्याज, क्षति, और दायित्व, से संबंधित कोई भी सुसंगत आदेश या आदेशों, या किसी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य अनुतोष के संबंध में, या पंचाट के अधीन किसी भी विवाद के लिए, और घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गया है इस आशय के लिए, जैसे कि घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, किसी भी संबंधित पक्षकारों या हितबद्ध पत्रों से प्राधिकरणों और वचनबंधों की पहचान और खरीद के संबंध में किसी भी चूक या गलती के जोखिम को पूरी तरह से मानता है। किसी भी सुसंगत आदेश या आदेशों, या किसी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य अनुतोष के संबंध में या गणतंत्र या भारतीय के विरूद्ध पंचाट अंतर्निहित विवाद के संबंध में किसी भी दावे से गणतंत्र और भारतीय सहबद्धियों को वचनबंध, और सुरक्षित करना सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में सहयोगी।

घ. तदनुसार घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र को गणतंत्र के पक्ष में तद्धीन शर्तों पर निष्पादित कर रहा है।अब यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र निम्नानुसार साक्षी है:

1. इस घटना में कि कोई भी व्यक्ति या इकाई किसी भी सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित, या किसी पंचाट के संबंध में, इस वचनबंध को प्रस्तुत करने की तारीख पर या उसके पश्चात् किसी भी समय किसी भी विमोचन के विरूद्ध दावा पेश करती है, लाती है, फाइल करती है या बनाए रखती है, आदेश, निर्णय, या कोई अन्य राहत, या संबंधित आदेश या आदेशों के संबंध में गणराज्य या भारतीय सहबद्धियों के विरूद्ध पंचाट के अधीन किसी भी विवाद के लिए, घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, क्षतिपूर्ति, बचाव और धारण करेगा किसी भी और सभी लागतों, व्ययों (अटर्नी फीस और न्यायालय फीस सहित), ब्याज, क्षति, और किसी भी प्रकृति की दायित्वों से या किसी भी तरह से दावे से संबंधित या, लाने, फाइल करने या बनाए रखने के विरूद्ध ऐसी विमोचन हानिरहित दावा।

2. घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, विशेष रूप से यह दर्शाता है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान के पश्चात्,

(i) इस वचनबंध का निष्पादन;

(ii) सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में किसी अन्य पक्ष द्वारा किसी अलग संबंधित वचनबंध का निष्पादन; तथा

(iii) इस वचनबंध में उल्लिखित सभी लंबित कार्यवाही का प्रत्याहरण,

कि उक्त सुसंगत आदेश या ऊपर संदर्भित आदेश, या किसी भी संबंधित पंचाट, निर्णय, या न्यायालय के आदेश, या पंचाट के अधीन विवाद के किसी भी पहलू के बारे में कोई अन्य दावा गणतंत्र या अन्य विमोचन के विरूद्ध शेष नहीं रहेगा। किसी भी संदेह से बचने के लिए, घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, इस खंड के अधीन विमोचन की क्षतिपूर्ति में किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा लाया गया कोई भी दावा सम्मिलित होगा जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि उसने घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, प्राप्त किया है। एक पंचाट, निर्णय या न्यायालय के आदेश या सुसंगत आदेश या आदेश के अधीन दावा किया जा सकता है।

3 किसी भी संदेह से बचने के लिए, घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी संबंधित दावे के विरूद्ध रिहाई हासिल करने के संबंध में किसी भी चूक या गलती की क्षतिपूर्ति के माध्यम से पूरी तरह से जोखिम लेता है। यदि घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति से कोई भी रिहाई प्राप्त करने में विफल रहता है, तो घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, इस दस्तावेज़ के माध्यम से किसी भी रक्षा, लागत, न्यायालयी लागत और नुकसान से मुक्ति की क्षतिपूर्ति करता है।

4. यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र भारत की विधियों द्वारा शासित होगा और दिल्ली उच्च न्यायालय के पास इस बंधपत्र की शर्तों के संबंध में या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद और / या अंतर पर विचार करने और विचार करने की एकमात्र अधिकारिता होगी।

इस बात के प्रमाण में कि यहाँ अधोहस्ताक्षरी ने ______, 2021 के दिन इस पर हस्ताक्षर किए हैं और अपना हाथ निर्धारित किया है।

घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति,

साक्षी का नाम और पता	साक्षी के हस्ताक्षर
1.	
2.	

स्थानः

दिनांकः

टिप्पण

1. यह जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जहां हस्ताक्षरी का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या उपलब्ध है।
2. कंपनी पहचान संख्या और करदाता पहचान संख्या प्रदत्त की जानी चाहिए जहां घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार का स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या या टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, यथास्थिति, उपलब्ध नहीं हैं।
3. बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकरण, जैसा कि वचनपत्र के खंड (ड) में निर्दिष्ट है अन्य बातों के अतिरिक्तः

   (क) घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, की ओर से हस्ताक्षर करने की शक्ति और प्राधिकार को रिकॉर्ड करें; तथा

   (ख) घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, की शक्ति और अधिकार को रिकार्ड करें, यथास्थिति, वचनबंध के खंड (i) के अनुसार भारत गणराज्य और भारतीय सहबद्धियों की रक्षा करने और हानिरहित रखने के लिए)